(12)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 53/19

मुकेश पुत्र काना जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी जटलाव तहसील बोली हाल निवासी चोरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर

.... वादी

बनाम

1. हीरा लाल पुत्र काना
2. गोविन्दकी देवी बेवा काना
   जाति कुंम्हार (प्रजापत) हाल निवासी चोरिया तह. चाकसू जयपुर
3. आई सी आई सी आई बैंक शाखा चाकसू जयपुर
4. लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.... प्रतिवादीगण

दावा इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित : श्री बत्ती लाल मीना एडवोकेट वादी की और से
श्री मोहम्मद जाहिद शिर्वानी एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से

आदेश

दिनांक – 11.11.22

वादी की और से यह दावा इस आशय का पेश किया कि काना के तीन वारिस हीरा पुत्र ,मुकेश पुत्र ,एव गोविन्दकी बेवा हैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की खाता सं. 6 के खसरा नं. 72/2/1, 72/4, 73 ,74/2 कुल किता 4 कुल रकबा 19 बीधा 1 विस्वा का विरासत के नामान्तरकरण सं. 609 दिनांक 30.5.92 से हीरा लाल भरतलाल पि. काना एवं गोविन्दी बेवा काना के नाम स्वीकार किया गया। कालान्तर में उक्त आराजीयात के बाद सेटिलमेंट हाल खाता सं. 355 ग्राम जटलाव कुल किता 15 कुल रकबा 4 बीधा 81 विस्वा कायम हुये । उक्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 3 के यहां रहन हैं, वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में भरत लाल दर्ज हैं जबकि वादी का आधार कार्ड में नाम मुकेश कुमार हैं। अतः भरत लाल के स्थान पर मुकेश कुमार शुघ्द किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं.0 1 व 2 ने इकबालिया जबाव पेश किया इस कारण तनकीयात विरचित नहीं की गयी।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

वादी की ओर से साक्ष्य पी.ड.1 मुकेश, पी.ड.2 राजूलाल, पेश किये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत 2072-75, प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2046-2049, प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श-4 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत, प्रदर्श-5 विरासत का नामान्तरकरण सं. 609, एवं प्रदर्श-6 आधार कार्ड प्रस्तुत किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। हमने प्रदर्श-5 नामान्तरकरण का अवलोकन किया उक्त नामान्तरकरण सं. 609 दिनांक 30.1.92 को काना की विरासत का नामान्तरकरण हीरा लाल, भरतलाल पि. काना व गोवन्दी बेवा काना कुम्हार के नाम स्वीकार किया गया है। जिसका अमल प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2046-2049 खाता सं.6 मे किया गया। प्रदर्श-3 मिलान क्षेत्रफल के आधार पर प्रदर्श-1 हाल जमाबंदी संवत 2072-75 खाता सं. 355 मे इन्द्राज किया गया। उक्त सभी दस्तावेजात में वादी का नाम भरत लाल दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजात में मुकेश दर्ज है। इस कारण भरत लाल के स्थान पर मुकेश दर्ज किया जावें।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण प्रथम दृष्टया नाम शुध्दि की है जो कि धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की परिधी में ही आता है। इन्द्राज दुरूस्ती के दावे की श्रेणी में नही आता । प्रदर्श-4 ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में भी मुकेश कुमार वादी को काना का वारिस बताया गया है। हमने नामान्तरकरण सं. सं. 609 दिनांक 30.1.92 का अवलोकन किया तो यह नामान्तरकरण दिनांक 30.1.92 को तसदीक किया गया है तथा वादी मुकेश का जन्म दिनांक 1.1.1991 को आधार कार्ड के आधार पर दर्ज है । इससे प्रथम दृष्टया यह सिध्द पाया गया कि उक्त नामान्तरकरण तसदीक के समय वादी की उम्र करीब एक दो वर्ष होगी। अर्थात बालक था।

उक्त विवेचना के अनुसार हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाकर भरत लाल के स्थान पर मुकेश कुमार शुध्द किया जाना विधिसंगत है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बौली को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2072-2075 खाता सं. 355 कुल किता 15 कुल रकबा 4.81 हैक्टेयर वाके ग्राम जटलाव में भरतलाल के स्थान पर मुकेश कुम्हार (प्रजापत) दर्ज किया जावें शेष इन्द्राजात पूर्वतः यथावत रहेगें।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

निर्णय आज दिनांक 11.11.22 को खुले न्यायालय में उच्चारित कर हस्ताक्षरित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर